

प्रेषक.

अवनीश कुमार अवरथी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Fair
यूट्यूब के / NB/whatsapp
websites - Group
1/28
07/2

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गोरखपुर नगर / कानपुर नगर / वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, राज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुनाम-3

लखनऊ: दिनांक: 5 फरवरी, 2022


विषय--कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोलने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण को रोकथाम हेतु गेजेट रिपब्लिक के संबंध में गृह (गोपन) अनुनाम 3 के आदेश संख्या-100/2022-सीएक्स-3, दिनांक 16.01.2022, आदेश संख्या 132/2022-सीएक्स-3, दिनांक 22.01.2022 तथा आदेश संख्या-164/2022-सीएक्स-3, दिनांक 28.01.2022 का कृपया सदर्थ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.02.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षाएँ जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर 12 व 13 व 14 उच्चतर यथा- कक्षा-9, 10, 11 व 12 व समस्त डिग्री कॉलेज कोरोना गाइडलाइंस यथा- भास्कर की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्थ डेस्क की स्थापना तथा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करता हुए अब दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खोलें समे।

जा.सं.




(अवनीश कुमार अवरथी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 202 (1)/2022-सीएक्स-3 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (5) गार्ड फाईल।

जा.सं.




(अवनीश कुमार अवरथी)
अपर मुख्य सचिव।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।


पृ०सं०: 48189-358 / जे-प्रशा०(सरकुलर)कोविड-19 दिनांक: 05, फरवरी, 2022

- उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 - 2- निजी सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 - 3- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 - 4- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर।
 - 5- कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
 - 6- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों को इस सीमा तक संशोधित मानते हुए समस्त पालीटेक्निक संस्थान कोरोना गाइडलाइन्स का पालन कराते हुए दिनांक: 07.02.2022 से खोले जायेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक कक्षाओं/शिक्षणकार्य का आफ लाइन संचालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 - 7- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को इस आसय से कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन निजीक्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में स्वयं के स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 - 8- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 9- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश सं०-202/2022-सीएक्स-3, दिनांक: 05 जनवरी 2022 में प्रदत्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कोरोना गाइड लाइन्स का पूर्ण पालन करते हुए दिनांक: 07.02.2022 से कक्षाओं/शिक्षणकार्य का आफ लाइन संचालन अग्रिम आदेशों तक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।


(एफ०आर०खान)
प्रधानाचार्य(मु०)

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०।

कार्यालय, प्रधानाचार्य, गाँधी पॉलीटेक्निक, मुजफ्फरनगर 1
पत्रांक 1128-29 / आपेक्ष / 2021-22 दिनांक: 07/02/22
प्रतिलिपि: (1) समस्त विभाग सत्यागत को आका अनुपालनाथ
(1) समस्त स्टाफ में चक्रीकृत हेतु।


कुलदीप शर्मा
प्रधानाचार्य
गाँधी पॉलीटेक्निक
मुजफ्फरनगर